

भारत में विकास का डिजिटल प्रारूप : सैद्धान्तिक बहस, नीतिगत पहल और लक्ष्य सुगमता

डॉ. अभय प्रसाद सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

सभ्यताई विकास के कालानुक्रम में प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के अभिकरण के रूप में प्रभावोत्पादक रहे हैं। यह सुनिश्चित है कि विकसित देशों में सूचना-संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) ने रीगन और थैचर (खासकर, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में) के काल में नव-उदारवादी विकास प्रतिमान के साथ इस क्रान्ति का नया विकास प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस सूचना-संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े विकास का प्रतिमान यूरोप, अमेरिका और पूर्वी एशिया (जापान और दक्षिण कोरिया) में भी प्रभावी रूप से लागू किया गया। विकास के इस डिजिटल प्रारूप का प्रतिमान कमो-बेस नव-उदारवादी-वैश्वीकरण के साथ ही विकासशील देशों के समक्ष परोसा गया। विकास के इस डिजिटल प्रारूप की पैरोकारी वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां भी करती नजर आईं। वर्ल्ड बैंक और

यू.एन.डी.पी. सरीखे संस्थाओं ने इन्फो-डेव, सस्टेनेबल नेटवर्क जैसी संस्थागत पहल की।¹ विश्व व्यापार संगठन ने ई.-कॉमर्स और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विनियमन के लिए डिजिटल प्रारूप पेश किया। विकासविदों में विकास के इस डिजिटल प्रारूप पर एक सृजनात्मक बहस है। यह सैद्धान्तिक बहस यह स्पष्ट रूप से बतलाने का प्रयास करता है कि विकास के इस डिजिटल प्रारूप के लाभार्थी कौन हैं और किन समुदायों के समावेशीकरण की चुनौतियाँ हैं।

इस शोध आलेख में विकास के डिजिटल प्रारूप पर हो रहे सैद्धान्तिक बहस, भारत में डिजिटल विकास के निमित्त किए गए नीतिगत पहल और इस सूचना-संचार प्रौद्योगिकी आधारित विकास प्रारूप के लक्ष्य सुगमता और चुनौतियों का विश्लेषण है।

1. सैद्धान्तिक विमर्श

यदि हम विकास अध्ययन के सैद्धान्तिक विमर्श में विकास के डिजिटल प्रारूप को स्थापित कर इनके बीच अन्तर सम्बन्धों एवं अन्तःक्रियाओं को समझें तो हमारे समक्ष निम्नलिखित पहलू उभर कर आते हैं:

- i. **डिजिटल डिवाइड पर बहस:-** वारसोएर और कॉलेन सरीखे विद्वानों का मत है कि डिजिटल डिवाइड की बहस ही भ्रामक है क्योंकि डिवाइड तो वास्तविक रूप में सामाजिक-आर्थिक है।² मार्क थॉमसन का मानना है कि आज डिजिटल प्रारूप उन्मुखी विकास ही विकासवादी विमर्श बन गया है।³ चूंकि डिजिटल वैश्विक पूंजीवाद जैसे समुदायों तक नहीं पहुंचता जहाँ से लाभार्जन की गुंजाईश न हो इसलिए डिजिटल विभाजन पाटने के पीछे बाजार की अक्षमता के न्यूनीकरण का उद्देश्य है।

- ii. **डिजिटल बहिष्करण/अपवर्जन पर बहस:-** डिजिटल बहिष्करण बहुआयामी है। मोबाइल, फोन, कम्प्यूटर की उपलब्धता, इंटरनेट के खर्च के वहन की क्षमता, इन्टरनेट के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बिजली और नेटवर्क की उपलब्धता, साफ्टवेयर और हार्डवेयर के समय-समय पर अपडेटिंग की लागत, इ-साक्षरता, आदि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों एवं पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों को विकास के डिजिटल प्रारूपी प्रतिमान में समावेशीकरण को मुश्किल बना देता है।
- iii. **डिजिटल ज्ञान एकाधिकार व डिजिटल सांस्कृतिक साम्राज्यवाद पर बहस:-** चीन, रूस और जापान सरीखे देशों को थोड़ा अलग श्रेणी मानते हुए यदि विकासशील देशों में विकास के डिजिटल प्रारूप को समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि सूचना-संचार प्रौद्योगिकी स्थानीय बोली, क्षेत्रीय भाषा की बजाय अंग्रेजी में अपना विषय वस्तु गढ़ता और संप्रेषित करता है। इससे स्थानीय ज्ञान व्यवस्था व प्रारम्भिक ज्ञान संसाधन को न मात्र क्षय का खतरा है बल्कि डिजिटल विकास की लक्ष्य-सुलभता की समस्या भी खड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर यदि भारत और ब्राजील जैसे देशों में निरक्षरता का प्रतिशत लगभग 30 प्रतिशत है और इ-साक्षरता का प्रतिशत लगभग 30 प्रतिशत से भी कम है तो इस स्थिति में इन देशों में डिजिटल विकास के लक्षित ध्येय की प्राप्ति की समस्या बनी रहेगी। यदि हम भारत में टेली-सर्विसेज सेक्टर में कार्यरत लोगों की बात करें, तो वहां वैसे युवा ही रोजगार में हैं जो अमेरिकन एक्सैट में ऑड आवर्स में भी कार्य करने के लिए तैयार हैं।⁴

आई.टी. अपने सूचना स्रोतों के प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया में पाश्चात्य विषय-

वस्तु, सामग्री व सेवा सम्बन्धित सूचना को वरीयता प्रदान करता है। उपभोक्ताओं को विषय-वस्तु से सम्बन्धित कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता।

- iv. **सूचना-संचार प्रौद्योगिकी विनिर्माण बनाम प्रसार पर बहस:-** सूचना संचार प्रौद्योगिकी विनिर्माण पूर्वी एशिया एवं भारत में सबलता से विकसित हुआ है जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे लोक सेवा प्रदायगी के सन्दर्भ में आई.सी.टी. प्रसार की दरकार बनी हुई है।⁵ इसी सन्दर्भ में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। विकासशील देशों में भारत और चीन आई.सी.टी. के क्षेत्र में भरसक विकसित देशों के टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के मुहताज न हों लेकिन चीन की तुलना में भारत आई.सी.टी. प्रसार तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी में अक्वल नम्बर पर नहीं पहुंचा है। हालांकि यदि थॉमस फ्राइडमैन की मानें तो उनका तर्क है कि सूचना टेक्नोलॉजी न सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच विकास, असमता को पाट देगा बल्कि अमीर और गरीब के खाई को भी कम करेगा।⁶ के. आरीफा का तर्क है कि भारत और चीन के उद्यमी द्वारा विकास कीये जा रहे कम लागत पर आधारित डिजाइन व टेक्नोलॉजी विकासशील देशों को उच्च प्रौद्योगिकी विकल्प मुहैया कराने की राह पर है।⁷

2. भारत में डिजिटल शासन सम्बन्धित नीतिगत पहल

डिजिटल शासन एक मध्यस्थता-मुक्त, स्वस्फूर्त, पारदर्शी, जवाबदेह, समग्र व सेवा प्रदायणी अभिशासन की पैरोकारी करता है। यदि हम ई.-गवर्नेंस के शुरुआती एकल प्रयोग की

बात करें तो भारत ने 1980 के दशक से जनगणना, कर आहरण, प्रतिरक्षा आदि क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। भारत सरकार के नीतियों में कालान्तर में हम ई. सरकार से ई.-शासन और फिर डिजिटल शासन (जिसमें ई-सुशासन भी सुमार हो जाता है) कि ओर सहज संक्रमण देख पाते हैं। इस दौरान ई-सरकार का संस्थागत ढाँचा विकसित किया गया जिसका उद्देश्य था प्रभावी, मितव्ययी प्रशासन तथा नागरिकों के प्रति जवाबदेही से आगे बढ़कर ई-प्रशासनिक प्रक्रियाओं में क्षमता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देना। इस प्रकार ई-सरकार अब ई-शासन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब ई.-शासन में नागरिक हकदारी का सरोकार महत्वपूर्ण हो गया था।

राष्ट्रीय ई.-गवर्नेंस प्लान 2006

जहाँ भारत में ई सरकार दो प्रकार के समन्वय बिन्दुओं- सरकार से सरकार (जी टू जी) से सम्बन्धित है वहीं ई.-शासन का विषय-वस्तु व प्रारूप सरकार से नागरिक (जी टू सी) अन्तःक्रियाओं व लोक सेवा प्रदायगी पर आधारित है। ई.-गवर्नेंस का यह प्रारूप वर्ष 2006 में लागू किए गए राष्ट्रीय ई.-गवर्नेंस प्लान (एन.ई.जी.पी.) के तहत किया गया। एन.ई.जी.पी. का बीज वक्तव्य है- अंततः लोक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना।⁸ हालांकि सिन्हा का तर्क है कि प्रयास यह हो कि नागरिकों में अभिकरणीयता विकसित हो न कि वे केवल सेवा के उदासीन उपभोक्ता बनकर रह जाएँ।⁹

राष्ट्रीय ई.-गवर्नेंस प्लान के तहत आधारभूत संरचना, नीति, परियोजना प्रबन्धन, वित्त, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, जनजागरण, लोक सेवा, आदि सरीखे 26 मिशन मोड प्रोजेक्ट केन्द्र

व राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।¹⁰ इस योजना के तहत कॉमन सर्विसेज सेन्टर (सी.एस.पी.) की स्थापना की जा रही है। इसका त्री-स्तरीय ढाँचा वीलेज-लेवल आन्त्रेप्रेन्योर (वी.एस.ई), सर्विस सेन्टर एजेंसी (एस.सी.ए) और स्टेट डिजाइनेटेड एजेंसी (एस.डी.ए.) विकसित किया जा रहा है। ये सी.एस.सीज, आई.सी.टी. और गैर आई.सी.टी आधारित सेवा प्रदायगी करेंगी। इन सी.एस. सीज को विकासवादी बदलाव के अभिकरण के रूप में विकसित किया जा रहा है जो ग्रामीण उद्यमियों के विकास, ग्रामीण क्षमता निर्माण और जीविकोपार्जन की दशाओं का निर्माण, सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने और सामाजिक परिवर्तन के लिए साझे पहल जैसे लब्ध उद्देश्यों के लिए कार्यरत हैं। इसकी संरचना ग्रामीण नागरिकों की केन्द्रीयता पर आधारित है।¹¹

इस प्रारूप में ई.-शासन के सफल कार्यान्वयन के निमित्त प्रक्रिया- पुनर्तकनीकरण और बदलाव प्रबन्धन पर जोड़ दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2008 में नई ई.-शासन नीति की शुरुआत की जिसके तहत ई. शिक्षा, ई-पहचान, ई-भुगतान आदि को वैधता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय ई.-गवर्नेंस प्लान का चौथा समन्वय बिन्दु है: सरकार से कर्मचारी (जी.टू.ई.)- इसके अन्तर्गत सरकार अपने कर्मचारियों को आवेदन, प्रशिक्षण, पदस्थापन, वेतनमान आदि ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराता है। उपरोक्त ई.-शासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- 1) लोक सेवकों की संख्या को घटाना, प्रशासनिक नैतिकता को बढ़ावा देना, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, जन संपर्क सुनिश्चित करना तथा शासकीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

- 2) प्रशासनिक अभिकरण एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण।
- 3) नागरिकों की सहभागिता एवं निर्णयों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- 4) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि की सूचना सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना।
- 5) कर्मचारियों और शासनिक अधिकारियों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण को ऑनलाइन करना, तथा
- 6) लोक सेवा प्रदायगी को पारदर्शी बनाना।

वर्ष 2008 से लागू नई ई.-शासन नीति में जन सहभागिता, आंकड़ों के अन्तरपरिवर्तनीयता, भाषायी स्थानीयता, उच्च मानकता, आदि पर बल दिया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का क्रियान्वयन 2015 में किया गया। इस प्रोग्राम के सन्दर्भ में ही वित्तीय समावेशन के निमित्त प्रधानमन्त्री जन-धन योजना की शुरुआत की गई तथा बाद में जनधन योजना को आधार और मोबाइल से जोड़ा गया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य भारत को एक सबल सूचना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।

एक आकलन के अनुसार फरवरी 2015 तक भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग 96 करोड़ से अधिक थी जो डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों की पूर्ति में निर्णायक साबित हो रहा है।¹²

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को तीन प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है-

(क) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

(ख) नागरिक उपकरण के रूप में अवसंरचना और

(ग) माँग-सापेक्ष शासन एवं सेवाएँ¹³

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इन तीन प्रमुख श्रेणियों के लब्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 9 प्रमुख स्तंभों की संरचनात्मक/उद्देश्यात्मक व्याख्या की गई है। ये हैं-

- (i) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए ब्राडबैंड आइनेम संजाल विस्तार।
- (ii) शुलभ मोबाइल जुड़ाव के लिए आधारभूत तकनीकी ढाँचा का विकास।
- (iii) सार्वजनिक इन्टरनेट शुलभता में वृद्धि।
- (iv) ई-शासन के तहत ऑनलाइन आवेदन, कार्य प्रवाह संचालन एवं शिकायत निवारण।
- (v) ई क्रान्ति सेवाओं के तहत ई-शिक्षा व ई-स्वास्थ्य सेवाओं की सेवा प्रदायगी।
- (vi) शासकीय पोर्टल से सभी नागरिकों को त्वरित सूचना प्रदान करना। (यह सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ही शुरू कर दिया गया था।)
- (vii) वर्ष 2021 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात को खत्म करना या शून्य स्तर तक ले जाना।
- (viii) आई.सी.टी. आधारित रोजगार सृजन करना।
- (ix) सरकारी दफ्तरों में कार्य निष्पादकता बढ़ाना।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आधार कार्ड को सभी सरकारी योजनाओं सम्बन्धित लाभार्थी से जोड़ा गया है। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई-लॉकर आदि के लिए भी प्रयुक्त

किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के तहत वित्तीय समावेशन सफलता की ओर बढ़ रहा है। इसके तहत खाताधारकों को सभी बैंक आधारित सेवाएं सुनिश्चित की जानी हैं तथा वित्तीय लेन-देन को मध्यस्थता-मुक्त करना है। 'पहल' स्कीम के तहत रसोई गैस की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाता है।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सफलता डिजिटल कनेक्टिविटी डिजिटल लिटरेसी, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और डिजिटल सेवाओं एवं प्रौद्योगिकी की सहज और सतत उपलब्धता, सार्वजनिक व निजी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण, स्थानीय भाषाओं में डिजिटलीकृत सूचना उपलब्धता आदि पर निर्भर है।

3. मोबाइल फोन आधारित गवर्नेंस (एम.-गवर्नेंस)

तकनीकी विकास व प्रसार से ई.-गवर्नेंस का विस्तार एम.-गवर्नेंस प्रारूप से वृहत स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। बढ़ते मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी और बढ़ते मोबाइल यूजर्स ने एक नए गवर्नेंस आयाम को खोल दिया है। चूंकि मोबाइल के माध्यम से एक नागरिक / उपभोक्ता व्यक्तिनिष्ठ सेवाओं व वस्तुओं से सम्बन्धित सभी सूचना एवं विषयवस्तु की जानकारी उपलब्धता के आधार पर त्वरित निर्णय ले सकता है, इसलिए एम.-गवर्नेंस डिजिटल गवर्नेंस प्रारूप का एक प्रभावी विस्तार है। एम.-गवर्नेंस "कहीं भी और कभी भी" प्रारूप में कार्य करने के कारण हमेशा नागरिक उपभोक्ता की ईच्छानुकूल गवर्नेंस और वित्तीय प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में 'मांग आधारित सेवा' डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक एवं ई-

कॉमर्स सम्बन्धित आमदनी खर्च, लोक सेवा प्रदायगी सम्बन्धित जानकारी, आदि क्षेत्रों में एम.-गवर्नेस एक प्रभावी अभिकरण के रूप में उभरा है।

एम.-गवर्नेस सेवा को प्रभावी बनाने के लिए शुलभ व सार्वभौमिक उपलब्धता, सूचना, निजता व वित्तीय सुरक्षा, उपभोक्ता ग्राह्यता तथा परिवर्तनकारी ई गवर्नेस संरचना व आधारभूत ढाँचा की जरूरत पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है।¹⁴ एम.-गवर्नेस के संदर्भ में एक नगारिक उपभोक्ता, हमेशा मोबाइल फोन की उपसंरचना के कारण शासकीय कार्यालय समय सीमा के परे की शासकीय सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है। 'हमेशा उपलब्ध' मोबाइल नागरिकों को भी गवर्नेस से जोड़े रखता है।

सरकार महत्वपूर्ण शासकीय सूचनाओं को तत्काल प्रभाव से एम.-गवर्नेस के माध्यम से अग्रसारित कर सकता है। एम.-गवर्नेस की पहुंच गांवों तक भी है तथा वहां भी जहाँ अभी भी 2-जी नेटवर्क कार्यरत है। मोबाइल चूंकि व्यक्तिगत प्रयोगार्थ होता है इसलिए सरकार इसे उपभोक्ता/नागरिक के लक्षित उद्देश्यों के लिए निजीगत अवसरों व सेवाओं की प्रदायगी कर सकता है। एक नागरिक यात्रा के दौरान भी एम.-गवर्नेस से न सिर्फ जुड़ा रहता है बल्कि वह शासकीय प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि कम्प्यूटर आधारित इंटरनेट की बजाय मोबाइल फोन की पहुंच एवं प्रयोग काफी बढ़ा है इसलिए ग्रामीण व गरीब लोगों को ई.-गवर्नेस के तहत एम.-गवर्नेस द्वारा जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 'माई गाव.' एक एम.-गवर्नेस प्रारूप है जिसका उद्देश्य नीति-निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना है।

4. डिजिटल गवर्नेस अनुप्रयोग

भारत सरकार अपने सभी मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, मिशनों तथा अन्य नीतिगत विषयवस्तुओं की जानकारी सम्बन्धित शासकीय निकाय के अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से पारदर्शिता के साथ नागरिकों को मुहैया कराता है। 'एगमार्कनेट' की सहायता से सभी कृषि विपन्न मंडियों को जोड़ा गया है जिसके माध्यम से कृषकों को खाद्यान्न के बाजार मूल्य, समर्थन मूल्य आदि की तत्काल जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के वेबसाइट पर जिला समीति से ग्राम पंचायत के स्तर तक रोजगार उपलब्धता, पंजीकरण, भुगतान व शिकायत निवारण सम्बन्धी सूचना, आंकड़े व विषयवस्तु उपलब्ध होने से ग्रामीण अभिशासन में पारदर्शिता आ रही है तथा भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा रहा है। 'सर्विस प्लस' के माध्यम से भारत सरकार लोक सेवा प्रदायगी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करवाता है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 'ई.-हॉस्पिटल', पुस्तकालयों के लिए 'ई.-ग्रन्थालय', आदि जैसी वेबसाइट्स सम्बन्धित सेवा क्षेत्रों की जानकारीयों निःशुल्क मुहैया कराता है। राष्ट्रीय बैंकों, रेलवे, उड्डयन, सार्वजनिक सड़क व जल परिवहन, सार्वजनिक, केन्द्रिय शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं, आदि के सम्बन्ध में भी जी.टू.सी. प्रारूप के तहत सभी सूचनाएं व सेवाएं नागरिकों को पारदर्शिता के साथ उपलब्ध है। इन डिजिटल गवर्नेस संजाल को सुचारू रूप से संचालित करने में राष्ट्रीय इन्फॉमेटिक्स केन्द्र (एन.आई.सी.), कम्प्यूटर प्रबन्धन निगम (सी.एम.सी.), सी.डैक, राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगम आदि की महती भूमिका रहती है।

गैर-सरकारी व निजी संगठन नवीन लोक प्रबंध के प्रारूप के तहत कियोस्क के माध्यम से सूचना, सेवा व सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी साझे प्रयास से ई.-सेवा के तहत भूमि रिकॉर्ड, पंजीकरण, मिलिक्यत आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।¹⁵

भारत सरकार ने 2012 में 'भारत नेट' परियोजना के तहत एक अति महत्वाकांक्षी डिजिटल कनेक्टिविटी का अभियान शुरू किया है जिससे पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जी.टू.सी. प्रारूप में 'ई.-हेल्थ', 'एम.-हेल्थ' और टेली-मेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराई है। इन स्वास्थ्य गवर्नेंस प्रारूप के तहत मरीजों के उपचार सम्बन्धी सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मोबाइल-हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य मार्केटिंग तथा टेली-मेडिसिन के तहत दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना है।

राज्यों द्वारा ई.-शासन पहल

गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल, हिमाचल प्रदेश, भूमि दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में अग्रणी राज्य हैं। इन राज्यों ने भूमि मिलिक्यत, फसल मिलिक्यत, भूमि पंजीकरण आदि सम्बन्धित आंकड़ों एवं विवरणों को न सिर्फ अपने वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया है बल्कि इस सम्बन्ध में शिकायत निवारण की भी व्यवस्था की है।

ई.-धरा: गुजरात सरकार के इस पहल के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों, ताल्लुकों और जिलों को जोड़ा गया है। ई.-धरा किसानों के भूमि दस्तावेजों, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आर.ओ.आर.), स्वामित्व हस्तांतरण, पंजीकरण आदि सुविधाएं प्रदान करता है।

भूमि प्रोजेक्ट: कर्नाटक सरकार द्वारा चलाये गये इस ई.-प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ कर्नाटक के सभी कृषक भूमि मालिकाना प्रपत्र बल्कि ऋण व बच्चों की शिक्षा सम्बन्धि सहायता सेवा भी प्राप्त करते हैं। कर्नाटक का 'भूमि' किसी राज्य में किसानों की ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने में एक प्रशसनीय मॉडल के रूप में उभरा है।

लोकवाणी: उत्तर प्रदेश में यह वर्ष 2004 में लोक-निजी-साझेदारी मॉडल पर प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट है। कियोस्क के माध्यम से यह भूमि दस्तावेजों का विवरण, पंजीकरण आदि ऑनलाइन मुहैया कराता है। साथ ही विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों सम्बन्धित सूचनाएं भी प्रदान करना है।

ई-सेवा व कार्ड स्कीम: आंध्रप्रदेश सरकार ने नागरिकों को उपयोगिता व उपभोग सेवा भुगतान सम्बन्धी ई.-सेवा की सुविधा प्रदान की है। ई.-सेवा उपभोक्ताओं की सभी शासकीय निकायों से जोड़ता है तथा सेवा प्रदायगी से सम्बन्धित स्तरों की पूरी जानकारी प्रदान करता है। ई.-सेवा के तहत लगभग 20 जिलों में जी.टू.जी. और जी.टू.बी. सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश): यह वर्ष 2000 में शुरू किया गया सामुदायिक स्वामित्व आधारित सेवा है जो ग्रामीण सूचनाओं के माध्यम से कृषि पदार्थों के दैनिक बाजार दर, आय प्रमाण-

पत्र, अधिवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य व शिक्षा सम्बन्धित सूचनाएं आदि प्रदान करता है। ये सूचनालय गांव के शिक्षित युवाओं द्वारा ही चलाया जाता है।

फ्रेंड्स (केरल): यह केरल सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया। यह त्वरित, विश्वसनीय, तत्क्षण व प्रभावी नेटवर्क द्वारा बिजली, पानी, कर अदायगी, आदि से सम्बन्धित सेवाएं जन सेवन केन्द्र द्वारा मुहैया कराता है।

रेस और वसुधा केन्द्र (बिहार): रेस ऑनलाइन सेवा बिजली शुल्क भुगतान के लिए वर्ष 2001 में शुरू किया गया है। वसुधा केन्द्र बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन लोक सेवा प्रदायगी के लिए स्थापित किया गया है।

ई. मित्र (राजस्थान): सभी सरकारी विभागों को इंटरनेट से जिला कार्यालय से जोड़ा गया है। सरकारी सेवाओं के लिए नागरिक निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं।

अन्य आई.सी.टी. पहल

एन लॉग: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 12वीं पास युवा या युवतियों की सहायता से कियोस्क चलाया जाता है। 'चिराग' नाम से चलाए जा रहे इन सूचना सेवा कियोस्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को विकास के अवसरों सम्बन्धी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है।

ई. चौपाल: यह आई.टी.सी. द्वारा शुरू किया गया एक नायाब व सफल पहल है। यह किसानों को पूरे देश में कृषि उत्पाद बढ़ाने सम्बन्धी सूचनाएं, कृषि लागत कम करने ओर लाभ बढ़ाने, बेहतर कृषि शैली व कृषि तकनीकि, मौसम और कृषि विपन्न सम्बन्धी जानकारी हिन्दी में उपलब्ध कराता है। ई. चौपाल किसानों को उनके दरवाजे तक उच्च किस्म की कृषि आगंतों और कृषि पदार्थों को मुहैया कराता है।

दृष्टि: विभिन्न राज्यों में कियोस्क आधारित राजस्व मॉडल है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों, बाजार सम्बन्धी सूचनाएं एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान करता है।

5. विकास के डिजिटल प्रारूप के समक्ष चुनौतियाँ

शासकीय डिजिटल विकास प्रारूप के समक्ष भाषायी सुग्राह्यता का प्रश्न, महिला डिजिटल अधिकारिता का प्रश्न, आई.सी.टी. के ग्रामीण एवं गरीबों में प्रसार का प्रश्न, सर्व शुलभ उपलब्धता का प्रश्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं न्याय जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता का प्रश्न, आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

सर्वप्रथम विभिन्न शासकीय निकाय सेवा प्रदायगी में समन्वित रूप से कार्य करें ताकि संरचनात्मक एवं संस्थागत लाचारी नए डिजिटल भ्रष्टाचार राज का दौड़ न शुरू कर दे। आम जन मानस की सुग्राह्यता के लिए अनुसूचित भाषाओं में सूचना की उपलब्धता कराने का कदम सराहनीय है लेकिन इसे स्थानीय बोली में भी उपलब्ध कराना जरूरी है।

नागरिक उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालय का कवच प्राप्त है लेकिन वस्तुओं और सेवाओं सम्बन्धित विवरण अंग्रेजी में लिखित होने के कारण तथा अपठनीय फॉन्ट साइज में छपे होने के कारण आम जनमानस बाजार की विकृतियों का शिकार हो जाता है।

डिजिटल सेवा उपलब्धि में भारतीय ग्रामीण महिलाएँ पिछड़ जा रही हैं जिसके पीछे सामाजिक रूढ़ि, उनकी ई.-निरक्षरता, आदि प्रमुख कारण हैं। इन दशाओं में बदलाव की जरूरत है। अमूमन गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता तथा सार्वजनिक संस्थानों के कम्प्यूटरीकरण की समस्या है जिसका प्रभावी हल ढाँचागत सुधार से संभव है। अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व्यवस्था (खासकर स्थानीय / अधिनस्थ न्यायपालिका में दस्तावेजों व सूचनाओं का डिजिटलीकरण), पुलिस प्रशासन आदि क्षेत्रों में पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी है। ऐसे क्षेत्रों में वेबवाइट्स विषयवस्तु को निम्न आय वर्गीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और स्थानीय भाषाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाना चाहिए ताकि देश की बड़ी जनसंख्या को इस डिजिटल क्रान्ति का वास्तविक लाभ मिल सके।

शिक्षा सामाजिक और आर्थिक समताकरण का अभिकरण है लेकिन इसे ई.-गवर्नेंस प्रारूप से सृजनात्मक रूप से जोड़ने से डिजिटल डिवाइड और डिजिटल बहिष्करण की प्रक्रिया को डिजिटल समावेशीकरण में रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक व आर्थिक विकास से डिजिटल विकास का एकीकरण व एकात्मिकरण अनिवार्य है ताकि भारत में ई.-गवर्नेंस ई-लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करे और विकास का डिजिटल प्रारूप मानव विकास की सकारात्मक दशाएं उपलब्ध कराए।

यहाँ सूचना, सूचना-विषयवस्तु, सेवा प्रदायगी, डिजिटल सेवा लाभ-प्रभाव विश्लेषण आदि के कार्य में अभिकरण कौन है, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी और निजी संगठनों की भूमिका क्रमवार तरीके से बढ़ती जा रही है। ई.-गवर्नेंस के तहत बहुत सारी ई-सेवा प्रदायगी व अंकेक्षण गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के द्वारा किया जाता है। ऐसे संगठनों की सरकारी व निजी वित्तीय सहायता पर अति-निर्भरता, जवाबदेयता का अभाव, गैर-सहभागी प्रबन्धन, आदि कार्यात्मक दोष इसे नागरिकों की जरूरत उन्मुखी लाभ प्रदान करने में प्रभावी अभिकरण नहीं बना पाता। चूंकि परियोजनाएं स्थानीय स्तर पर नहीं बनती और सततता का अभाव होता है इसलिए जैसे ही वित्तीय सहायता बन्द हो जाती है ऐसे एन.जी.ओ का कार्य भी ठप्प हो जाता है। यहां तक की कार्यरत सोशल रिस्पॉन्सिविलिटी अधिनियम, 2013 के तहत किए जा रहे निजी औद्योगिक निगमों द्वारा विकास के सीमांकित क्षेत्रों में जवाबदेही व पारदर्शिता का अभाव दिखता है। इसलिए ई.-लोकतंत्र एवं डिजिटल विकास के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए उक्त नीतिगत पहलुओं की समझ के साथ पारदर्शिता, दायित्वशिलता एवं सहभागिता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष-

भारत में ई.-शासन, एम. शासन और सुशासन विकास के डिजिटल प्रारूप का नीतिगत अभिव्यक्तिकरण है। यह स्पष्ट है कि शासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक सेवा प्रदायगी और जन सहभागिता को इस विकास के डिजिटल प्रारूप का आधार स्तंभ माना गया है। भारत बहुत ही तीव्र गति से ई.-गवर्नेंस व एम.-गवर्नेंस आधारभूत संरचनाओं का विकास और विस्तार कर रहा है। सरकारी, गैर-सरकारी व निजी संस्थाएं अपने-अपने तरीके से सूचना-संचार प्रौद्योगिकी

के बेहतर व उपभोक्ता-शुलभ तरीकों को ईजाद कर रही है। इस दिशा में लोक-निजी भागीदारी/साझेदारी भी व्यापक पैमाने पर इस क्रान्ति को गति प्रदान कर रहा है। सूचना, संचार, लोक सेवा प्रदायगी, जन शिकायत निवारण, न्याय आदि के क्षेत्र में प्रशंसनीय पहल किए जा रहे हैं। लेकिन भारत अभी भी अमेरिका, जापान व अन्य विकसित देशों से पीछे है। भारत में ई.-गवर्नेंस की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि अप्रासांगिक कानूनों, नौकरशाही की नकारात्मक कार्यशैली, अशिक्षा, बिजली आपूर्ति में कमी, निजता व वित्तीय लोक-देन सम्बन्धी असुरक्षा, आदि समस्याओं का त्वरित हल करे। ग्रामीण क्षेत्रों और गरिबों के लिए और प्रभावी एम.-गवर्नेंस आधारभूत संरचना की जरूरत है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का पारंपरिक अर्थव्यवस्था के साथ सकारात्मक एकीकरण हो ताकि इनके बीच असमरूपता न रहे। निसन्देह विकास डिजिटल प्रारूप में सभी को लाभ पहुंचाने की असीम क्षमता है, लेकिन असमान राजनीतिक-अर्थव्यवस्था में जिस तरह से इसका प्रसार हो रहा है उससे डिजिटल खाई बढ़ रही है और डिजिटल बहिष्करण भी हो रहा है। महिलाओं, गरीबों, दलितों के बेहतरी के लिए एक समावेशी विकास वाले लोकतांत्रिक डिजिटल क्रान्ति की दरकार है।

संदर्भ-

1. देखें, मार्क थॉमसन, (2004) 'डिस्कॉर्स, डेवलपमेंट एंड डिजिटल डिवाइड', *रिव्यू ऑफ अफ्रिकन पॉलिटिकल इकॉनॉमी*, वॉल्यूम 31, नं. 99, पृ. 105-118.

2. देखें, एम. वरसोएर, (2003) 'डाइसेक्टिंग द डिजिटल डिवाइड', *द इन्फोरमेशन सोसाइटी*, वो.-19, सं. 4, पृ. 297-301; देखें, कॉलेन, रोबिना (2001) 'अड्रेसिंग द डिजिटल डिवाइड', *ऑनलाइन इन्फोर्मेशन रिव्यू*, वो 25, सं. 5, पृ. 311-19.
3. मार्क थॉमसन, (2009), वही, 105.
4. ब्रेन्डन लुएत, (2004) 'हू बेनीफीट्स फ्रॉम द डिजिटल डिवाइड', *फर्स्ट मनडे*, पृ. 8-9.
5. पी. वॉंग, (2002) 'आई.सी.टी. प्रोडक्शन एंड डिफ्यूजन इन इंडिया', *इन्फोरमेशन इकोनॉमिक एंड पॉलिसी*, वो. 14, नं. 2, पृ. 168-86.
6. थॉमस फ्रडमैन, (2005) *द वर्ल्ड इज फ्लैट*, न्यूयार्क, फरार स्ट्रॉस और जीरॉक्स, पृ. 7-28.
7. के. आरिफा, (2002) 'एक्सेस टू इन्फोरमेशन बाय द सोशली डिसएडवान्टेज्ड इन डेवलपिंग कन्ट्रीज वीथ स्पेशल रेफरेन्स टू इंडिया', *इन्फोरमेशन स्टडीज*, वो. 8, नं. 3, पृ. 159-170.
8. के. प्रसाद, (2012) 'ई. गवर्नेस पॉलिसी फोर मोडर्नाइजिंग गवर्नमेंट थ्रू डिजिटल डेमोक्रेसी इन इंडिया', *जर्नल ऑफ इन्फोरमेशन पॉलिसी*, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, वो. 2, पृ. 183-203.
9. डी. सिन्हा, (2012) 'न्यू टेकनिक ऑफ गवर्नेस: ई. गवर्नेस एंड इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपीरियेन्स', में रनवीर समाददार और सहित सेन (सं.), *न्यू सब्जेक्ट्स एंड न्यू गवर्नेस इन इंडिया*, न्यू दिल्ली, राउटलेज, पृ. 86-87.
10. के. प्रसाद (2012), वही, पृ. 186-187.

11. डी. सिन्हा, (2012), वही, पृ. 25-26.
12. आशीष खंडेलवाल, (2015) 'डिजिटल क्रांति से बदलता सामाजिक परिवेश', *योजना*, अगस्त 2015, पृ. 17-18.
13. योगेश के. द्विवेदी, (2015) 'डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम: लोक प्रशासन में सुधार की एक अनुकरणीय पहल', *योजना*, फरवरी 2011, पृ. 29.
14. ममता सरीन एवं अन्य (2013) 'एक्सप्लोरिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज ऑफ मोबाइल गवर्नमेंट सर्विसेज इन इंडिया', *प्रोब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव इन मैनेजमेंट*, वो. 11, सं. 4, पृ. 24-43.
15. एम. आनंदकृष्णन, (2003) 'ई गवर्नेंस फॉर इमप्रूव्ड सर्विसेज, च्वायसेज मेड बाय तमिलनाडु', में ई. वायुनंदन व डॉली मैथ्यूज (सं.) *गुड गवर्नेंस इनिसिएटिव इन इंडिया*, नई दिल्ली, पी.एच.आई., पृ. 120-127.